गर्भधारण पूर्व एंव प्रसव पूर्व निदान तकनीक
(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

बेटी बचाओ
Save the girl Child

सहायक निर्देशिका

राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

अनुक्रमणिका

	पेज नं
1. प्रस्तावना	1
2. राज्यवार बाल लिंगानुपात	2
3. जिलेवार लिंगानुपात	3
4. आमजन की भूमिका	4
5. परिभाषाएं	6
6. स्थान	7
7. पंजीकरण	8
8. अपील	11
9. प्रतिषेध	11
10. निर्धारण एवं नियमन	13
11. अपराध	14
12. न्यायालय में परिवाद	15
13. रिकार्ड संधारण	16
14. तलाशी एवं जब्ती	17
15. सबूतो का संग्रहण	20
16. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड	23
17. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड	24
18. समुचित प्राधिकारी/क्रियान्वयन अधिकारी	25
19. अल्ट्रासाउण्ड तकनीक के इस्तेमाल के संबंध में संकेतक/सूचक	27
20. आवश्यक दस्तावेजो की सूची।	28
21. राज्य समुचित प्राधिकारी एवं राज्य पीसीपीएनडीटी सैल	30

प्रस्तावना

भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश पितृसत्तात्मक होने के कारण, महिला को हमेशा से ही दूसरा स्थान दिया गया है। ''वंश बेटो से चलता है'' पितृात्मक समाज की नींव है। इसके अलावा विवाह के अवसर पर भी महिला को एक अधीनस्थ दर्जा प्रदान किया गया है। विवाह के समय एक लडकी के पिता द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताओ, दिये जाने वाले दहेज, सामाजिक असुरक्षा की भावना इत्यादि समस्त महिलाओं के निम्न सामाजिक स्तर के लिए जिम्मेदार है। जिसके कारण एक परिवार द्वारा परिवार में कन्या को पैदा होने से रोका जा रहा है।

समाज में कन्या को पैदा न होने देने की प्रवृत्ति के कारण, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन दुराचार, Trafficking इत्यादी में बढोतरी हुई है। इसी प्रकार की हिंसाओं मे से एक सबसे घृणित हिंसा बालिका शिशु हत्या या कन्या भ्रूण हत्या है। जिसके तरीके हर जगह अलग अलग है। बालिका शिशु हत्या/कन्या भ्रूण हत्या से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लडको की शादी के लिए लडकिया नहीं मिल रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुई बढोतरी से बाल लिंगानुपात में बढोत्तरी होने की बजाय लडके की चाहत तथा कन्या को पैदा होने से रोकने की प्रवृत्ति मे बढोतरी हुई है। इस प्रवृत्ति को तकनीक के दुरूपयोग ने और बढावा दिया है क्योंकि विज्ञान एवं तकनीक में आए क्रान्तिकारी परिवर्तनों ने इस लडके की चाह को और सुगम बना दिया। कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनित गर्भपात के द्वारा गर्भ में ही कन्या भ्रूण को मार दिया जाता है। इससे पहले गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जॉच करा ली जाती है। गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच कई तरीकों जैसे एम्निओसेन्टेसिस, कोरिओनिक विलस बायोप्सी और सर्वाधिक चर्चित तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा की जा सकती है और जॉच के बाद भ्रूण के महिला भ्रूण होने पर उसे गर्भ से निकलवा दिया जाता है। बालिका शिशु हत्या एवं बालिका भ्रूण हत्या के बीच एक मुख्य अन्तर यह है कि बालिका भ्रूण हत्या में एक तृतीय पक्षकार चिकित्सक (Medical Proffessional) भी होता है समाज में लडके की चाह तथा चिकित्सक की आसानी से पैसा कमाने की चाह नें इस लिंग जॉच में सक्षम तकनीक को जिलो तहसीलो, गॉवो तक एक कुकुरमुत्ते की तरह फैला दिया है। कन्या भ्रूण हत्या में हुई बढोतरी के कारण बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर यह गिरावट जारी रही तो प्रकृति के नाजुक संतुलन को स्थाई रूप से गडबडा देगा जो कि केवल संख्या का ही खेल नहीं बल्कि एक अत्यन्त चिंताजनक स्थिति का संकेत हैं।

कानूनी पहल

बालिका शिशु हत्या को स्वतन्त्रता पूर्व से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इसके तहत सजा न के बराबर है। सन 1978 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक मुख्य रूप से एम्निओसेन्टेसिस के आने के बाद सरकार द्वारा एम्निओसेन्टेसिस के सरकारी अस्पतालो/प्रयोगशालाओं में दुरूपयोग को रोकने बाबत् एक निर्देश जारी किए। लिंग निर्धारण जॉच को रोकने से संबंधित एक कानून 20 सितम्बर 1994 को प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया जो कि 1996 में प्रभाव में आया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सेहत एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिए गए दिशा निर्देशों के बाद अधिनियम मे संशोधन किया गया और संशोधित अधिनियम जनवरी 2003 में प्रभावी हुआ इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व लिंग चयन के साथ गर्भधारण पूर्व लिंग चयन को रोकना था। संशोधन के बाद यह अधिनियम ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' के रूप में 14 फरवरी 2003 से प्रभाव में आया।

State Wise Sex Ratio and Child Sex Ratio during 1991 & 2001

India and State		Sex-Ratio		Child Sex-Ratio		Difference
Sr.No.	1	2	3	4	5	6
	INDIA	**927**	**933**	**945**	**927**	**-18**
1.	Punjab	882	876	875	798	-77
2.	Haryana	865	861	879	819	-60
3.	Himachal Pradesh	976	968	951	896	-55
4.	Gujrat	934	920	928	883	-45
5.	Uttaranchal	936	962	948	908	-40
6.	Maharashtra	934	922	946	913	-33
7.	Nagaland	886	900	993	964	-29
8.	Goa	967	961	964	938	-26
9.	Arunachal Pradesh	859	893	982	964	-18
10.	Manipur	958	978	974	957	-17
11.	Karnataka	960	965	960	946	-14
12.	Andhra Pradesh	972	978	975	961	-14
13.	Orissa	971	972	967	953	-14
14.	Jharkhand	922	941	979	965	-14
15.	Meghalaya	955	972	986	973	-13
16.	Uttar Pradesh	876	898	927	916	-11
17.	Bihar	907	919	953	942	-11
18.	Assam	923	935	975	965	-10
19.	Madhaya Pradesh	912	919	941	932	-09
20.	West Bengal	917	934	967	960	-07
21.	**Rajasthan**	**910**	**921**	**916**	**909**	**-07**
22.	Tamilnadu	974	987	948	942	-06
23.	Mizoram	921	935	969	964	-05
24.	Sikkim	878	875	965	963	-02
25.	Tripura	945	948	967	966	-01
26.	Chhatisgarh	985	989	974	975	-01
27.	Kerla	1036	1058	958	960	02
28.	J & K	896	892	NA	941	NA

UTs Wise Sex Ratio and Child Sex Ratio during 1991 & 2001

India and Union territory		Sex-Ratio		Child Sex-Ratio		Difference
Sr.No.	1	2	3	4	5	6
	INDIA	**927**	**933**	**945**	**927**	**-18**
1	Chandigarh	790	777	899	845	-54
2	Delhi	827	821	915	868	-47
3	Dadra & Nagar Haweli	952	812	1013	979	-34
4	Daman & Diu	969	710	958	926	-32
5	Andaman & Nikobar	818	846	973	957	-16
6	Pondicherry	979	1001	963	967	04
7	Lakshadweep	943	948	941	959	18

District- wise Child Sex-ratio (0-6 Years) in 1991-2001

State	Sr.No.	District	1991	2001	Difference
Rajasthan			**916**	**909**	**-07**
	1	Sri-Ganganagar	894	850	-44
	2	Jhunjhunu	900	863	-37
	3	Alwar	914	887	-27
	4	Jaipur	925	899	-26
	5	Hanumangarh	897	872	-25
	6	Chittaurgarh	951	929	-22
	7	Dungarpur	974	955	-19
	8	Sikar	904	885	-19
	9	Dhaulpur	875	860	-15
	10	Dausa	919	906	-13
	11	Banswara	976	964	-12
	12	Baran	930	919	-11
	13	Jhalawar	944	934	-10
	14	Udaipur	958	948	-10
	15	Rajsamand	943	936	-07
	16	Bhilwara	953	949	-04
	17	Tonk	931	927	-04
	18	Bundi	915	912	-03
	19	Nagaur	918	915	-03
	20	Kota	914	912	-02
	21	Bharatpur	879	879	00
	22	Karauli	873	873	00
	23	Sirohi	918	918	00
	24	Bikaner	914	916	02
	25	Churu	904	911	07
	26	Jodhpur	913	920	07
	27	Sawai Madhopur	894	902	08
	28	Ajmer	913	922	09
	29	Jalor	909	921	13
	30	Barmer	901	919	17
	31	Jaisalmer	851	869	18
	32	Pali	896	925	29

☆ कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम में जनसाधारण की जिम्मेदारी ☆

कन्या भ्रूण हत्या क्या है

गर्भ में विकसित भ्रूण के लिंग का आधुनिक तकनीक के जरिये पता लगाकर अर्थात वह लडका है या लडकी, लडकी होने पर इसे गर्भ से असमय निकलवा देना। कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है।

कौन जिम्मेदार

इसके लिए मुख्य रूप से दो लोग जिम्मेदार है :

- ◊ वो चिकित्सक जो कि इस तकनीक का दुरूपयोग कर रहे है।
- ◊ वो गर्भवती महिला जो स्वयं जा रही है या वो लोग जो दबाव डालकर उस गर्भवति महिला को इस जॉच को करवाने व कन्या भ्रूण हत्या हेतु भेज रहे है।

इसके दुष्परिणाम

अगर इसी तरह कन्या भ्रूण हत्या जारी रही तो लडकों को शादी के लिए लडकिया नहीं मिलेंगी और ऐसी स्थिति में हमारे समाज में महिलाओं के प्रति बलात्कार, छेडछाड, बहुपतिप्रथा व अन्य प्रकार की हिंसा बढेगी।

कानून क्या कहता है

- ◊ लिंग जॉच करवाने वाले व्यक्ति को 3/5 साल तक का कारावास व 50,000/ 1,00,000 रूपये तक के जुर्माने की सजा न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। यहॉ उस गर्भवती महिला के लिए यह माना जाएगा कि वह अपने घरवालों के दबाव में ऐसा करवा रही है। जब तक की यह सिद्ध न हो जावे की उसकी सहमति थी।
- ◊ लिंग जॉच तकनीक का दुरूपयोग करने वाले चिकित्सक को 3 / 5 साल तक का कारावास तथा 10000 / 50000 रूपये तक के जुर्माने की सजा न्यायालय द्वारा दी जा सकती है।

हमारी जिम्मेदारी

- ◊ गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जॉच कर भ्रूण के कन्या होने की स्थिति में उसे निकलवा देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में लम्बा समय लगता है और यह घिनौना व गैर कानूनी कृत्य हमारे ही पडौसी, रिश्तेदार, भाई बन्धु, इत्यादि के द्वारा किया जा रहा है।
- ◊ हम (विशेषतः महिलाए) ऐसी महिलाओं से बातचीत में ये पता लगावें कि उस गर्भवर्ती महिला द्वारा गर्भ का समापन क्यों और कहॉ करवाया गया है और लिंग जॉच की स्थिति को स्पष्ट करें।
- ◊ लिंग जॉच की स्थिति व संस्थान का पता होते ही तुरन्त संबंधित समुचित प्राधिकारी को या हैल्प लाईन **0141–2222422** पर सूचना दे सकते है अथवा pcpndt@yahoo.co.in पर ईमेल कर सकते है। जहॉ कि आपकी स्वयं की जानकारी पूर्णत गुप्त रखी जावेगी।

समुचित प्राधिकारी कौन है

राज्य सरकार द्वारा निम्न को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

- ◊ **राज्य स्तर पर** – (अधिसूचना दिनॉक 01.07.03, 02.12.06 एवं 19.11.07)

- ◊ निदेशक (प0क0) :– अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी।
- ◊ एक महिला प्रतिनिधि जो महिला संगठन से है :– सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
- ◊ राज्य विधि विभाग का एक अधिकारी :– सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।

◊ **जिला स्तर पर** – (अधिसूचना दिनॉक 16.06.01 एवं 10.08.07)

जिला कलैक्टर

◊ **उप खण्ड स्तर पर** – (अधिसूचना दिनॉक 16.06.01)

जिला मुख्यालय स्थित उप खण्ड के लिए –

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)

समुचित प्राधिकारियों को सलाह के लिए एक सलाहकार समिति होती है। सलाहकार समिती में निम्न लोग होते है।

- ◊ तीन चिकित्सकीय अधिकारी
- ◊ तीन सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी।
- ◊ एक विधि विशेषज्ञ।
- ◊ एक अधिकारी राज्य सूचना एवं प्रसार विभाग से है।

उक्त समस्त समुचित प्राधिकारियों तथा सलाहकार समिति के सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का प्रभावी रूप से कियान्वयन करावें।

अपराधों का प्रसंज्ञान

- ◊ न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लिया जावेगा।
- ◊ परिवाद पर जो समुचित प्राधिकारी द्वारा पेश किया गया है।
- ◊ परिवाद पर जो किसी व्यक्ति द्वारा जिसनें कि समुचित प्राधिकारी को 15 दिन का नोटिस दे दिया है पेश किये जाने पर
- ◊ पीसीपीएनडीटी एक्ट के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय है।

पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत क्या करना अपराध है

- ◊ प्रसव पूर्व निदान तकनीक का अपंजीकृत संस्थान में संचालन।
- ◊ प्रसव पूर्व निदान तकनीक का लिंग जॉच हेतु उपयोग।
- ◊ लिंग जॉच को प्रोत्साहित करने वाले कोई भी विज्ञापन।
- ◊ अपंजीकृत संस्थानों को प्रसव पूर्व निदान तकनीक या लिंग जॉच करने में सक्षम उपकरणों का विक्रय।
- ◊ लिंग को निर्देशित करने वाले निर्देशक शब्द, चित्र इत्यादि का प्रकाशन।

परिभाषाऐं

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (Pre Natal Diagnostic techinique) = प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया + प्रसव पूर्व निदान परीक्षण

- ◊ अल्ट्रा सोनोग्राफी
- ◊ फीटोस्कोपी

नमूना लेना या समाप्त करना /प्राप्त नमूनों का परीक्षण या विश्लेषण (आदमी या औरत किसी का)

- ◊ एम्निओटिक फल्यूड
- ◊ कोरियोनिक विलाई
- ◊ रक्त (Blood)
- ◊ ऊतक
- ◊ तरल पदार्थ

  जो कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व किसी प्रकार के परीक्षण के लिए आनुवंशिक प्रयोगशाला को भेजा जाएगा।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व तकनीक का प्रयोग गर्भवति महिला पर केवल निम्न परिस्थितियों में ही जॉच हेतु किया जा सकता है।

- ◊ गुणसूत्रीय या आनुवंशिक असामान्यता।
- ◊ उपापचयी विकार
- ◊ जन्मजात विषमता।
- ◊ लिंग संबंधी विकार
- ◊ हीमोग्लोबिनोपैथी।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक के प्रयोग की स्वीकृति निम्न परिस्थितियों में योग्यताधारी चिकित्सक के सहमत होने पर ही दी जा सकती है। ऐसे कारण लिखित में चिकित्सक द्वारा दिये जायेंगे।

- ◊ गर्भवति महिला की उम्र 35 वर्ष से ऊपर है।
- ◊ गर्भवति महिला के दो या अधिक सहज/स्वतः गर्भपात या गर्भस्थ भ्रूण हानि हो चुकी है।
- ◊ गर्भवति महिला औषधी/विकिरण/रसायनो के संक्रमण जैसे किसी संभावित टैराटोजैनिक माध्यम के सम्पर्क में आई है।
- ◊ गर्भवति महिला या उसके पति के परिवार मानसिक मंदन या शारीरिक कुरचना जैसी किसी स्पैस्टिसिटी या अन्य कोई आनुवंशिक बीमारी का इतिहास रहा हो।
- ◊ अन्य कोई शर्त जो बोर्ड द्वारा विहित की जावे।

लिंग जॉच में शामिल है :–

- ◊ प्रक्रिया/तकनीक
- ◊ परीक्षण
- ◊ प्रशासन
- ◊ डाक्टर द्वारा दिया उपचार/सलाह/नुस्खा
- ◊ भ्रूण की लिंग जॉच के उद्देश्य से उपयोग में आने वाली समस्त बातें

स्थान (Place)

_आनुवंशिक परामर्श केन्द्र –

- ◊ एक संस्थान (Institute)
- ◊ अस्पताल
- ◊ नर्सिंग होम
- ◊ अन्य स्थान

  जिसको किसी नाम से जाना जावे जो कि मरीज को आनुवंशिक परामर्श प्रदान कर रहा है

आनुवंशिक प्रयोगशाला –

- ◊ एक प्रयोगशाला और
- ◊ अन्य स्थान

  जहॉ कि आनुवंशिक क्लिनिक से प्राप्त नमूने का कोई विश्लेषण या परीक्षण किया जाता है।

2002 में हुए संशोधनो के पश्चात एक स्पष्टीकरण जोडा गया जो कहता है कि ''आनुवंशिक प्रयोगशाला'' में ऐसा स्थान भी आता है जहॉ कि अल्ट्रासाउण्ड मशीन, इमेजिंग मशीन, स्केनर अथवा अन्य कोई उपकरण जो कि भ्रूण की लिंग जॉच करने में सक्षम है अथवा किसी अन्य स्थान पर ले जाने में सुगम मशीन/उपकरण जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच करने में सक्षम है। यह जॉच प्रसव पूर्व कभी भी हो सकती है।

आनुवंशिक क्लिनिक –

- ◊ एक क्लिनिक
- ◊ संस्थान
- ◊ अस्पताल
- ◊ नर्सिंग होम
- ◊ अन्य स्थान

  जिसको कि किसी भी नाम से जाना जाए जो कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया को संचालित कर रहे है।

1994 के इस अधिनियम में एक संशोधन के जरिये एक स्पष्टीकरण जोडा गया जो एक ''वाहन'' की स्थिति स्पष्ट करने के लिए था। यह संशोधन कहता है कि एक क्लिनिक के अन्तर्गत एक वाहन भी आता है। जहॉ कि अल्ट्रासाउण्ड मशीन, इमेजिंग मशीन, स्केनर अन्य कोई उपकरण जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच में सक्षम है अथवा किसी अन्य स्थान पर ले जाने में सुगम मशीन/उपकरण रखता है जो कि गर्भस्थ शिशु की गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग जॉच करने में सक्षम है।

उक्त वाहन के संबंध मे कुछ महत्वपूर्व तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. वाहन का क्षेत्र वहीं होगा जो कि पंजीकरण प्रदाता समुचित प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार है। वह वाहन उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता।
2. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग जॉच में सक्षम तकनीक/अल्ट्रा साउण्ड मशीन इत्यादि के लिए पंजीकरण उस वाहन को प्रदान किया जाता है जिसमें कि वह तकनीक/अल्ट्रा साउण्ड मशीन स्थापित की जाती है। इस वाहन से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग जॉच में सक्षम तकनीक/अल्ट्रा साउण्ड मशीन इत्यादि को वाहन से कहीं और स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता अगर ऐसा किया जाता है तो इसकी सूचना नियमानुसार समुचित प्राधिकारी को देनी होगी।
3. समुचित प्राधिकारी द्वारा वाहन के लिए पंजीकरण प्रदान करते समय पंजीकरण प्रमाण–पत्र पर उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर आवश्यक रूप से उल्लेखित किया जावे।

संशोधित नियमों के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक आनुवंशिकी परामर्श केन्द्र/प्रयोगशाला/क्लिनिक में एक अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर/इमेजिंग सेन्टर/नर्सिंग होम/ अस्पताल/संस्थान अन्य समस्त भी शामिल है। जिसको किसी नाम से जाना जाए जहॉ कि प्रसव पूर्व शिशु की लिंग जॉच से संबंधित कोई मशीन/उपकरण उपयोग में लाया जाता है या कोई तकनीक (प्रक्रिया व परीक्षण) संचालित की जा रही है।

पंजीकरण

1. प्रत्येक पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिया जावेगा।

   ◊ जिले के जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी को

   ◊ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) एवं उपखण्ड स्तरीय समुचित प्राधिकारी को

   ;माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपखण्ड स्तर पर समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति निर्देशों का मुख्य उददेश्य यह था कि उपखण्ड स्तर पर अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विति की जा सके। जिसमें कि पंजीकरण, निरीक्षण, निलम्बन, निरस्तीकरण, इत्यादी आते है एवं राज्य समुचित प्राधिकारी एवं जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण के अतिरिक्त समस्त संचालन एवं निर्देशन संबंधी दायित्वों का निर्वहन किया जावे)

2. प्रत्येक पंजीकरण प्रार्थना पत्र '' प्रारूप ए'' में दो प्रतियों में दिया जाएगा।

3. प्रत्येक पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ निम्न शपथ–पत्र होंगे –

4. एक शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग) कि संस्थान जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच करने में सक्षम तकनीक/उपकरण रखता है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग जॉच के लिए किसी भी प्रकार के परीक्षण एवं तकनीक को उपयोग में नहीं लाएगा। जब तक कि ऐसा करना अधिनियम की धारा 4(2) व 4(3) के तहत ना आते हो।

5. एक शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग) कि संस्थान जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच से संबंधित कोई भी तकनीक/उपकरण रखता है। द्वारा इस नोटिस कि '' लिंग जॉच कानूनी अपराध है/ भ्रूण का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है'' की चेतावनी अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में लिखे दो बोर्डो का अपने संस्थान के स्पष्ट रूप से दृश्य स्थान पर प्रदर्शन किया जाएगा। (पहला नोटिस बोर्ड स्वागत कक्ष में दूसरा उस कक्ष में जहॉ प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग किया जाता है या जहॉ अल्ट्रासाउण्ड मशीन को लगाया गया है।) (आकार 2फुट X 1.50फुट)

6. संस्थान पूर्ण रूप से भरे हुये प्रार्थना पत्र (प्रारूप ए) को समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में समुचित प्राधिकारी को या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को जमा कराएगा साथ ही प्राप्ती रसीद प्राप्त करेगा जिस पर प्राप्ती की दिनांक अंकित होगी। अथवा समुचित प्राधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद उसी दिन या फिर अगले दिन डाक द्वारा संस्थान को प्रेषित की जावेगी।

7. प्रत्येक पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ अधिनियम के प्रावधान धारा 5(1) के अनुसार फीस भी देय होगी (अगर समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाता है तो संस्थान द्वारा 90 दिन के अन्दर दुबारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की स्थिति में यह फीस दुबारा देय नहीं होगी)

8. प्रार्थना पत्र शुल्क देय होगा – डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये
   – समुचित प्राधिकारी के नाम देय होगा

9. पंजीकरण से प्राप्त समस्त पैसे को समुचित प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकारिक पदनाम से खोले गये बैंक खाते में जमा कराया जाऐगा।

10. पंजीकरण से प्राप्त समस्त राशि को समुचित प्राधिकारी द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की क्रियान्विति एवं लिंग चयन के विरूद्ध समाज में जागरूकता लाने हेतु खर्च किया जावेगा।

11. पंजीकरण हेतु प्राप्त राशि प्रार्थी को वापिस नहीं की जायेगी।

पंजीकरण की प्रकिया

- ◊ समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों में से उन प्रार्थना पत्रों की छटनीं की जावेगी जो कि अधिनियम के तहत वांछित योग्यताओं को पूरी करते हैं।
- ◊ समुचित प्राधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जावेगा।
- ◊ समुचित प्राधिकारी सहमत हो कि समस्त वांछित योग्यताओं को पूरी करता है तो वह उस प्रार्थना पत्र को सलाहकार समिति के समक्ष रखेगा। जिसके उपर सलाहकार समिति द्वारा विचार विमर्श कर अपनी राय दी जायेगी।
- ◊ सलाहकार समिति की राय को ध्यान में रखते हुये समुचित प्राधिकारी आवेदक का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- ◊ पंजीयन प्रमाण पत्र पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के प्रारूप बी में दो प्रतियों में दिया जाएगा। समुचित प्राधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 90 दिवस के अन्दर आवेदक को देनी होगी। [नियम 6(5)]
- ◊ पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रदर्शन उस आनुवंशिकी परामर्श केन्द्र पर/प्रयोगशाला/क्लीनिक/अस्पताल/जहॉ के लिए पंजीकरण दिया गया है में ऐसी जगह पर जहॉ सबकों स्पष्ट रूप से दिख सके पर होगा।
- ◊ पंजीकरण प्रमाण पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है।
- ◊ अगर किसी आनुवंशिकी परामर्श केन्द्र/प्रयोगशाला/क्लिनिक आदि का मालिकाना हक/प्रबंधन इत्यादि के बदलने या फिर कार्य करने पर रोक लगाने की स्थिति में संस्थान द्वारा पंजीकरण की दोनों कॉपी समुचित प्राधिकारी को समर्पित करनी होगी।
- ◊ प्रत्येक मालिक/प्रबन्धक द्वारा अन्य प्रत्येक आनुवंशिकी परामर्श केन्द्र/प्रयोगशाला/क्लीनिक के लिए एक नये पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना होगा।
- ◊ समस्त आनुवंशिकी परामर्श केन्द्र/प्रयोगशाला/क्लिनिक जिसे कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत किया जा रहा है द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का देना होगा कि वे अधिनियम की धारा 4(2) व 4(3) को छोडकर किसी भी प्रकार से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक या लिंग जॉच करने में सक्षम तकनीक के उपयेाग में शामिल नहीं होगा।
- ◊ अगर पंजीकरण प्रमाण पत्र पूर्व में जारी किया जा चुका है तो संस्थान के लिये यह जरूरी होगा कि बाद में आने वाली मशीनों के बारे में सूचना संबंधित समुचित प्राधिकारी को देने के बाद मशीनों की संख्या सहित विवरण एक कागज पर पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ प्रदर्शन (Display) किया जावे। इसके अलावा इस विवरण में पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड सोनोग्राफी मशीनों के बारे में भी उल्लेखित किया जाएगा।

पंजीकरण प्रार्थना पत्र को नामंजूर करना

- ◊ समुचित प्राधिकारी की जॉच एवं सलाहकार समिति की राय में आवेदक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/प्रयोगशाला/क्लिनिक इत्यादि जिसे कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत किया जा रहा है न्यूनतम योग्ताए नहीं रखता है तो प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा।

- ◊ समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 90 दिवस के अन्दर आवेदक को निर्धारित प्रारूप सी में उन कारणों को बताते हुए जिनके कारण आवेदन पत्र नामंजूर किया गया है सूचित करना होगा।[नियम 6(5)]

पंजीकरण का निरस्त/निलम्बित किया जाना

- ◊ समुचित प्राधिकारी स्वयं या प्राप्त शिकायत पर किसी भी समय पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अधीन आने वाले संस्थान को '' कारण बताओं नोटिस'' जारी कर सकता है कि आपके संस्थान द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है तो क्यों न आपके संस्थान का पंजीकरण निरस्त व निलम्बित कर दिया जाए। {धारा 20(1)},
- ◊ उक्त संस्थान को स्वयं की प्रतिरक्षा में जवाब देने के लिए युक्तियुक्त समय दिया जाएगा और जवाब आने के बाद उसे सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा, सलाहकार समिति की राय आने के बाद समुचित प्राधिकारी आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए पंजीकरण को निरस्त या निलम्बित कर सकता है {धारा 20(2)},
- ◊ अपवाद स्वरूप कुछ मामलो में/अति गंभीर आरोपों के चलते जनहित में समुचित प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये पंजीकरण को निरस्त/निलम्बित किया जा सकता है {धारा 20(3)}, समुचित प्राधिकारी द्वारा उन कारणों को लिखित में संस्थान को प्रदत्त किया जाएगा।

पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

- ◊ प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से आगामी 5 साल तक के लिए वैध होगा।
- ◊ पंजीकरण प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने की तारीख से पूर्व के 30 दिन में कभी भी नवीनीकरण प्रार्थना पत्र समुचित प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।
- ◊ नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रारूप ए में दो प्रतियों में समुचित प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा तथा समुचित प्राधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त नवीनीकरण प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद उसी दिन या फिर अगले दिन डाक द्वारा प्रेषित की जावेगी।
- ◊ नवीनीकरण प्रार्थना पत्र के साथ संस्थान द्वारा नियम 5(1) में दिये गये पंजीकरण शुल्क का आधा शुल्क देय होगा।
- ◊ नवीनीकरण प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के बाद समुचित प्राधिकारी द्वारा जॉच जिसमें स्वयं का निरीक्षण भी शामिल है किया जाएगा और अगर कोई कमीं पाई जाती है तो उनकी कमीपूर्ती जरीये नोटिस आवेदक से कराएगा।
- ◊ इसके बाद सलाहकार समिति की बैठक में रखा जाएगा कि नवीनीकरण समुचित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा अथवा नहीं।
- ◊ नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र भी 5 साल के लिए दिया जाएगा और नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने पर पूर्व में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की दोनों प्रतियॉ समुचित प्राधिकारी के समक्ष समर्पित कर दी जाएगीं।
- ◊ अगर किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की तारीख से 90 दिन के अन्दर नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो पूर्व में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र ही नवीनीकृत प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। इसके लिए आवेदक संस्थान को समुचित प्राधिकारी के यहॉ नवीनीकरण हेतु पेश प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद को निरीक्षण के समय समुचित प्राधिकारी/अधिकृत अधिकारी को दिखाना होगा।
- ◊ नवीनीकरण प्रमाण पत्र का क्रमांक पूर्व में जारी पंजीकरण क्रमांक ही होगा।

नवीनीकरण प्रार्थना पत्र का नामंजूर किया जाना

- ◊ अगर व्यापक निरीक्षण, जॉच, सलाहकार समिति की सलाह, तथा आवेदक को पर्याप्त समय देने के बाद समुचित प्राधिकारी सहमत नहीं है तो वह उस प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर सकता है।
- ◊ इस प्रकार नामंजूर किये जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी 90 दिन के अन्दर फार्म सी के रूप में सकारण आवेदक को सूचित करेगा।
- ◊ इस प्रकार नामंजूर किये जाने के बाद संबंधित संस्थान द्वारा पूर्व में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को समुचित प्राधिकारी के समक्ष समर्पित कर दिया जावेगा।

अपील ***(Appeal)*** *धारा 21 एवं नियम 19,*

- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन समस्त संस्थान 30 दिन के अन्दर निरस्तीकरण/निलम्बन के आदेश की अपील कर सकता है
- ◊ यदि आदेश राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा दिया गया है तो अपील राज्य सरकार को की जावेंगी।
- ◊ यदि आदेश जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा दिया गया हैं तो अपील राज्य समुचित प्राधिकारी को की जावेगी।
- ◊ यदि आदेश उपखण्ड समुचित प्राधिकारी द्वारा दिया गया हैं तो अपील जिला समुचित प्राधिकारी को की जावेगी।
- ◊ प्रत्येक अपील का निस्तारण अपील प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर किया जावेगा।

प्रतिषेघ ***(prohibition)***

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व भ्रूण की लिंग जॉच/निर्धारण को प्रतिषेधित करता है। एवं लिंग जॉच एवं कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए भी दण्डित करता है।

स्थानों पर :–

- ◊ गर्भधारण पूर्व एंव प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 18 (1) के अनुसार समुचित प्राधिकारी से उपयुक्त पंजीकरण प्राप्त किए बिना कोई भी संस्थान किसी भी प्रकार से प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन, सहयोग इत्यादी नहीं करेगा।
- ◊ समस्त पंजीकृत संस्थानों द्वारा अपने संस्थान में पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रदर्शन किया जाएगा।
- ◊ अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों द्वारा अधिनियम के तहत योग्यताऐं न रखने वाले व्यक्ति की सेवाऍं, नहीं ली जायेगी।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकृत समस्त संस्थाओं द्वारा " लिंग जॉच कानूनी अपराध है/ भ्रूण का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है" की चेतावनी अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में लिखे दो नोटिस बोर्डो का अपने संस्थान के स्पष्ट रूप से दृश्य स्थान पर प्रदर्शन किया जाएगा। पहला नोटिस बोर्ड स्वागत कक्ष में दूसरा उस कक्ष में जहॉ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग किया जाता है या जहॉ अल्ट्रासाउण्ड मशीन को लगाया गया है। (आकार 2 फुट X 1.5 फुट)

व्यक्तियों पर :–

- ◊ कोई भी व्यक्ति बिना समुचित प्राधिकारी से पंजीकरण प्राप्त किये आनुवंशिकी परामर्श केन्द्र/आनुवंशिकी प्रयोगशाला/आनुवंशिकी क्लिनिक/अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक या अन्य कोई ऐसी तकनीक जिससे कि प्रसव पूर्व भ्रूण की लिंग जॉच की जा सकती है नहीं रखेगा।
- ◊ अधिनियम के तहत योग्यताधारी कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान जो कि अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है पर प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन नहीं करेगा न ही सहयोग करेगा।
- ◊ कोई भी व्यक्ति गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रभावी होने के बाद किसी भी अपंजीकृत संस्थान में अपनी सेवाएँ नहीं देगा।
- ◊ कोई भी व्यक्ति जिसमें कि गर्भवती महिला के रिश्तेदार एवं पति भी आते है अधिनियम की धारा 4 (2) व 4 (3) को छोडकर अन्य किसी परिस्थिती में प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरूपयोग बाबत संबंधित संस्थान पर दबाव नहीं डालेगा।
- ◊ कोई भी व्यक्ति लिंग जॉच के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग न करेगा न करने देगा।
- ◊ कोई भी व्यक्ति जिसमें प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालक भी है किसी भी प्रकार से भ्रूण की लिंग से संबंधित इशारे, शब्द, इत्यादी के जरीये गभवर्ती महिला, उसके पति या रिश्तेदार को भ्रूण की लिंग के संबंध में सूचित नहीं करेगा।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के नियम 18 के तहत पंजीकृत संस्थाओं में काम करने वाले लोगो के लिए एक आचरण संहिता का भी प्रावधान है।
- ◊ कोई भी व्यक्ति या संस्थान जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच में सक्षम तकनीक को रखता है। किसी भी माध्यम से जिसमें इलैक्ट्रोनिक व प्रिन्ट दोनो माध्यम आते है गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच से संबंधित विज्ञापन को किसी भी स्थान पर न जारी करेगा, न वितरित करेगा, न प्रचारित करेगा। विज्ञापन के अन्तर्गत सभी प्रकार के नोटिस, सर्कूलर, स्टीगर, कवर इत्यादि आते है।
- ◊ कोई भी व्यक्ति गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच करने में सक्षम अल्ट्रासाउण्ड मशीन, इमेजिंग मशीन एवं अन्य समस्त उपकरण समुचित प्राधिकारी से पंजीकृत संस्थान के अलावा अन्य किसी को न बेचेगा, न वितरित करेगा, न किराये पर देगा, न आपूर्ति करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने हेतु अधिकृत करेगा।
- ◊ ''व्यक्ति'' शब्द के अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड मशीन, इमेजिंग मशीन या अन्य उपकरण जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच कर सकते हैं में सक्षम कोई भी उपकरण का निर्माता आयातक, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता इत्यादी आते हैं।

विक्रय के संबंध में

- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के नियम 3 ए (2) के अनुसार गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच में सक्षम तकनीक/उपकरण/मशीन आदि के विक्रेता/निर्माता/आपूर्तिकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की तकनीक/उपकरण/मशीन विक्रय के संबंध में समस्त जानकारी केन्द्र सरकार व संबंधित राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रत्येक तीन माह में भेजेगा।
- ◊ एक शपथ पत्र उस पंजीकृत संस्थान से इस आशय का लेना होगा कि वह कभी भी इन उपकरणों का इस्तेमाल गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच के संबंध में नहीं करेगा
- ◊ समुचित प्राधिकारी द्वारा दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटो प्रति आवश्यक रूप से ले।

निर्धारण एवं नियमन ***(Prescriptions and regulations)***

यह अधिनियम निषेधकारी एवं नियामक दोनो प्रकार का है क्योंकि यह अधिनियम लिंग जॉच को निषेधित करता है और तकनीक को नियन्त्रित (Regulate) करता है यह अधिनियम प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग की स्वीकृति कुछ परिस्थतियों में ही प्रदान करता है।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग की स्वीकृति निम्न परिस्थितियों में दी जा सकती है जिसके कारण लिखित में रखने होंगे {धारा (4 (2)} :–

1. गुणसूत्रीय असामान्यता।
2. आनुवंशिक उपापचयी विकार।
3. हीमोग्लोबिनोपैथी।
4. लिंग संबंधी विकार।
5. जन्मजात विषमता।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक के प्रयोग की स्वीकृति निम्न परिस्थितियों में योग्यताधारी चिकित्सक के सहमत होने पर ही दी जा सकती है। ऐसे कारण लिखित में चिकित्सक द्वारा दिये जायेंगे। {धारा 4(3)}

- ◊ गर्भवति महिला की उम्र 35 वर्ष से उपर है।
- ◊ गर्भवति महिला के दो या अधिक सहज/स्वतः गर्भपात या गर्भस्थ भ्रूण हानी हो चुकी है।
- ◊ गर्भवति महिला औषधी/विकिरण/रसायनो के संक्रमण जैसे किसी संभावित टैराटोजैनिक माध्यम के सम्पर्क में आई है।
- ◊ गर्भवति महिला या उसके पति के परिवार में मानसिक मंदन या शारीरिक कुरचना जैसी किसी स्पैस्टिसिटी या अन्य कोई आनुवंशिक बीमारी का इतिहास रहा हो।
- ◊ अन्य कोई शर्त जो बोर्ड द्वारा विहित की जावे।

जो चिकित्सक प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग कर रहा है संबंधित समस्त रिकार्ड रखेगा।

संशोधित अधिनियम के तहत एक व्यक्ति (चिकित्सक) जो कि गर्भवती महिला की सोनोग्राफी कर रहा है **कानून द्वारा प्रस्तावित समस्त रिकार्ड रखेगा और अगर इसमे कोई अनियमितता या कमी पाई जाती है तो धारा 5 व धारा 6 का उल्लंधन माना जाऐगा** जब तक कि उस व्यक्ति (चिकित्सक) द्वारा विरूद्ध साबित न कर दिया जाए जिसने सोनोग्राफी की है।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक/टैस्ट/प्रक्रिया जिनमें कि एम्नियोसेन्टेसिस, कोरिओनिक विली वायोप्सी (Chorionic Velli Biopsy) , फीटोस्कोपी (Foetoscopy) , फीटल स्किन या ओरगन वायोप्सी (Foetel Skin Biopsy) या कोरडियोसेन्टसिस इत्यादी आक्रामक (Invasive) तकनीक आती हैं का उपयोग किया जा सकता है जबकि :–

- ◊ इस महिला की सहमति प्रारूप जी (Form G) में ले ली गई है। यह प्रारूप उस भाषा में होगा जिसमें कि वह महिला पढ़/समझ सके।
- ◊ इस सहमति पत्र की एक प्रति उस गर्भवती महिला को प्रदान की जाएगी।
- ◊ इस तकनीक के उपयोग से संबंधित समस्त प्रभावों को उस गर्भवती महिला को समझाया व बताया जाएगा।
- ◊ सहमति पत्र को लेकर संशोधित अधिनियम, 2003 के द्वारा आक्रामक (Invasive) व आनाक्रामक (Non-Invasive) तकनीक में सहमति पत्र के बीच अन्तर किया गया है। सहमति पत्र जी (Form G) केवल आक्रामक तकनीक के उपयोग की स्थिति में ही लिया जाएगा आनाक्रामक तकनीक के उपयोग की स्थिति में जिसमें कि अल्ट्रासाउण्ड तकनीक आती है। प्रारूप एफ (Form F) पर चिकित्सक द्वारा एक

घोषणा पत्र दिया जायेगा कि उसके द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग का खुलासा नहीं किया गया है और गर्भवती महिला इस आशय का घोषणा पत्र देगी कि वह गर्भस्थ शिशु की लिंग नहीं जानना चाहती है।

कम्पनीयों द्वारा अपराध

एक कम्पनी जिसमें आते हैं।

- ◊ व्यावसायिक निकाय।
- ◊ एक फर्म सहयोगी या निजी रूप में।

एक कम्पनी द्वारा किये गये अपराध की दशा में जिम्मेदार होगा –

- ◊ प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभारी है।
- ◊ प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के किये जाने के समय कम्पनी की समस्त व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।

अपराध

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत कार्य अथवा लोप जो दण्डनीय बनाया गया है इसके तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय तथा अशमनीय है।

संज्ञेय– अपराध होने की स्थिति में पुलिस बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है।

अजमानतीय–पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अधीन अपराध की स्थिति में पुलिस जमानत पर अभियुक्त को नहीं छोड सकती।

अशमनीय– इस अधिनियम के तहत मुकदमें के दौनों पक्षकार मुकदमें को आपसी सुलह कर अभियोजन के लिए मना नहीं कर सकते है।

दण्ड ***(Penalties)***

(अ) व्यक्ति द्वारा अपराध : अगर कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 22 (1) व 22 (2) जो कि विज्ञापन से संबंधित है का उल्लंघन करता है तो अपराधी साबित होने पर दण्डित किया जावेगा।

कारावास – 3 साल तक अथवा

जुर्माना – 10000 (दस हजार रूपये तक) अथवा दोनो {धारा 22(3)}

(ब) अगर कोई व्यक्ति लिंग जॉच के उद्देश्य से किसी गर्भवती महिला को भेजता है या लिंग जॉच करने हेतु किसी संस्थान/व्यक्ति पर दबाव डालता है अपराधी साबित होने पर निम्नानुसार दण्डित किया जाएगा

पहली बार में अपराधी साबित होने पर

कारावास – 3 साल तक अथवा

जुर्माना – 50000 (पचास हजार रूपये तक) अथवा दोनो {धारा 23(3)}

दूसरी बार में अपराधी साबित होने पर

कारावास – 5 साल तक अथवा

जुर्माना – 100000 (एक लाख रूपये तक) अथवा दोनो {धारा 23(3)}

(स) इस तकनीक का दुरूपयोग कर लिंग जॉच करने वाले चिकित्सक को अपराधी साबित होने पर

पहली बार में अपराधी साबित होने पर

कारावास – 3 साल तक अथवा

जुर्माना – 10000 (दस हजार रूपये तक) अथवा दोनो {धारा 23(1)}

दूसरी बार में अपराधी साबित होने पर

कारावास – 5 साल तक अथवा

जुर्माना – 50000 (पचास हजार रूपये तक) अथवा दोनो {धारा 23(1)}

एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की स्थिति में समुचित प्राधिकारी द्वारा उसका नाम संबंधित चिकित्सा परिषद (Medical Council) को उपयुक्त कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा। जिसमें कि

- ◊ मुकदमें के निस्तारण तक चिकित्सक के पंजीकरण निलम्बन हेतु अगर माननीय न्यायालय में आरोप तय कर दिये गये हो ।
- ◊ न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध कर सजा दिये जान की स्थिति में चिकित्सक का नाम पंजीकरण रजिस्टर से नाम हटाये जाने हेतु

    - ◊ प्रथम अपराध पर 5 साल तक
    - ◊ दूसरी बार में स्थाई रूप से ।

एक गर्भवति महिला जो कि अधिनियम की धारा 4(2) व 4(3) में उल्लेखित कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरूपयोग के लिए गई है न्यायालय द्वारा यह माना जावेगा कि गर्भवती महिला पर ऐसा करने के लिए पति या रिश्तेदार द्वारा दबाव डाला गया है। जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाऐ कि वह गर्भवती महिला स्वयं की इच्छा से गई थी। ऐसे में उस गर्भवती महिला के पति या रिश्तेदार :–

- ◊ अधिनियम की धारा 24 के तहत दुष्प्रेरण के दोषी होंगे।
- ◊ जो कि अधिनियम की धारा 23(3) के तहत दण्डनीय है।

अगर कोई व्यक्ति गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 व नियम का उल्लंघन करता है जिसके दण्ड के लिए अधिनियम में कही कोई प्रावधान नहीं है। दण्डित किया जावेगा। (धारा 25)

- ◊ कारावास – 3 माह तक
- ◊ जुर्माना – 1000 तक
- ◊ या दोनो
- ◊ दूसरी बार अपराध साबित होने पर पहली सजा के बाद से दूसरी सजा सुनाये जाने के दिन तक 500/– रूपये प्रति दिन के हिसाब के दण्डित किया जाएगा।

न्यायालय में परिवाद

न्यायालय में परिवाद के साथ आवश्यक दस्तावेज :–

- ◊ इस्तगासा/परिवाद (Complaint)
- ◊ गवाहो की सूची जिसमे स्वयं के साथ तलाशी एवं जब्ती के समय गवाह, बोगस ग्रहक इत्यादी सभी लोगों के नाम होंगे।
- ◊ तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की रिपोर्ट जिसे सामान्यतः पंचनामा कहा जाता है
- ◊ जब्त किए समस्त दस्तावेजों की एक कॉपी।
- ◊ गवाहो के बयान
- ◊ सबसे जरूरी संबंधित संस्थान आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक क्लिनिक, आनुवंशिक प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक इत्यादी का पूर्ण पता।

परिवाद कौन कर सकता है ?

- ◊ समुचित प्राधिकारी या
- ◊ समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या
- ◊ एक व्यक्ति जिसमें की अपराध के संबंध में समुचित प्राधिकारी को 15 दिवस का नोटिस दे दिया हो। अगर समुचित प्राधिकारी इन 15 दिन में शिकायत का निस्तारण करने में असफल रहता है तो वह व्यक्ति स्वयं न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश कर सकता है।
- ◊ व्यक्ति के अन्तर्गत सामाजिक संगठन भी आते है।

प्रत्येक जनहित में कार्यकरने वाला व्यक्ति इस गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को क्रियान्विति कर सकता है और अधिनियम के उल्लंघन होने की स्थिति में स्वयं एक वकील के जरीये, या एक गैर सरकारी संगठन के रूप में या एक समूह के रूप न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश कर सकते है। जिसमें कि न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया जाएगा कि इस अपराध के संबंध में समुचित प्राधिकारी को जरिये नोटिस 15 दिन में अवगत करा दिया गया है और उनके द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में जनहित मैं यह परिवाद पेश कर रहा हू।

एक बार परिवाद पेश होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं या परिवादी की प्रार्थना पर समुचित प्राधिकारी को प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज पेश करने बाबत् निर्देशित किया जाएगा।

परिवाद किस न्यायालय में पेश होगा ?

पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अन्तर्गत पेश परिवाद का विचारण उस मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) के द्वारा किया जाएगा। जिसके सामान्य क्षेत्र अधिकार में अपराध घटित हुआ है।

सद्भावपूर्वक जनहित में कार्य

राज्य सरकार, समुचित प्राधिकारी या इनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी/व्यक्ति द्वारा अधिनियम के तहत सद्भाव पूर्वक और जनहित में किए गये किसी कार्य के लिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है (धारा 31)

रिकार्ड (अभिलेख) का संधारण

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 29 व नियम 9 गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग के संबंध में रखी जाने वाले अभिलेख की व्याख्या प्रस्तुत करते है।

अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार जो व्यक्ति एक गर्भवति महिला की सोनोग्राफी कर रहा है या उस गर्भवति महिला पर लिंग जॉच में सक्षम तकनीक/उपकरण का प्रयोग कर रहा है से संबंधित समस्त रिकार्ड (अभिलेख) नियमानुसार निर्धारित प्रारूप डी, ई व एफ में रखेगा। अगर उस व्यक्ति/संस्थान के द्वारा ऐसा रिकार्ड नही रखा जाता है या रिकार्ड अधूरा व सही नहीं रखा जाता है। तो यह माना जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 5 व 6 का उल्लंघन कर रहा है।

प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक क्लिनिक, आनुवंशिक प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग सेन्टर या अन्य कोई केन्द्र जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच में सक्षम तकनीक/उपकरण रखता है को निम्न दस्तावेजों का संधारण अतिआवश्यक है।

रजिस्टर जिसमें प्रदर्शित होगा –

- ◊ नाम और पता उस व्यक्ति का जिसमें आदमी और औरते दोनो आते है जिस पर कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग किया जा रहा है।
- ◊ उसके बच्चों/माता पिता का विवरण।
- ◊ दिनांक जिसको पहली बार वह व्यक्ति सलाह, या तकनीक के उपयोग को आया था।

ऐसे में जानना अति आवश्यक है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अनुसार प्रसव पूर्व निदान तकनीक के संबंध में आनुवंशिक सलाह केन्द्र को प्रारूप डी आनुवंशिक प्रयोगशाला को प्रारूप ई तथा आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग सेन्टर इत्यादि को प्रारूप एफ के रूप में दस्तावेज/अभिलेख रखने होगा।

अन्य प्रकार के रिकार्ड :-

- ◊ केस रिकार्ड।
- ◊ सहमति पत्र प्रारूप जी (आक्रामक तकनीक के प्रयोग की स्थिति में)।
- ◊ प्रयोगशाला रिपोर्ट।
- ◊ माईक्रास्कोपिक तस्वीरे।
- ◊ सोनोग्राफिक प्लेट और स्लाईडस।
- ◊ सलाह/सिफारिश (Recommendation) पत्र।
- ◊ रैफरल कार्ड।

प्रत्येक आनुवंशिकी सलाह केन्द्र आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रसाउण्ड क्लिनिक/इमेजिंग सेन्टर या गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच में सक्षम तकनीक रखने वाला प्रत्येक संस्थान की यह कानूनन जिम्मेदारी है कि हर माह की 5 तारीख तक विगत माह की संस्थान द्वारा किये गये टैस्ट/प्रक्रिया/सलाह/अल्ट्रसाउण्ड इत्यादी से संबंधित समस्त रिपोर्ट संबंधित समुचित प्राधिकारी को भेजे (नियम 9(8))।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकृत समस्त संस्थानों के लिए यह जरूरी है कि संस्थान द्वारा किये गये समस्त टैस्ट/परीक्षण प्रक्रिया, सलाह, अल्ट्रसाउण्ड इत्यादी की तारीख से आगामी 2 साल तक इस अभिलेख (रिकार्ड) को सुरक्षित रखे। (धारा 29 (1) व नियम 9(6)) उस परिस्थिति में जब कि संस्थान द्वारा समस्त अभिलेख रखने में किसी कम्प्यूटर या अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है तो संस्थान के लिए यह जरूरी है। उस रिकार्ड की एक प्रिन्टेड कॉपी उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाकर जो कि उस रिकार्ड के लिए जिम्मेदार है 2 साल के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकृत समस्त संस्थान समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी संस्था के निरीक्षण के दौरान उपलब्ध करानी होगी। नियम 11(1)
समुचित प्राधिकारी एक स्थाई अभिलेख नियमानुसार प्रारूप एच के रूप में रखेगा जिसमें निम्न समस्त दस्तावेजात होंगे।

- ◊ पंजीकरण प्रार्थना पत्र।
- ◊ पंजीकरण के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र।
- ◊ संस्थान द्वारा कर्मचारी, स्थान, पता एवं उपकरण इत्यादि में किये गये किसी भी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित समुचित प्राधिकारी को दिए समस्त सूचना पत्र।
- ◊ अन्य।

तलाशी एवं जब्ती

तलाशी किसी भी आपराधिक जॉच का एक हिस्सा है। जब कभी भी किसी समुचित प्राधिकारी को या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को यह अन्देशा हो कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत कोई अपराध हुआ है तो वह आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग सेन्टर इत्यादि किसी भी संस्थान का निरीक्षण व तलाशी कर सकता हैं।
तलाशी एवं जब्ती के संदर्भ में समुचित प्राधिकारी या अधिकृत अधिकारी की शक्तियॉ बहुत व्यापक है।

- ◊ तलाशी वाली जगह पर स्वतन्त्ररूप से प्रवेश कर सकता है।
- ◊ किसी भी उपयुक्त समय पर तलाशी कर सकते है।

निम्न समस्त दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है।

- ◊ रजिस्टर।
- ◊ सहमति पत्र, रैफरल स्लिप, चार्टस, प्रयोगशाला रिपोर्ट, माईक्रोस्कोपिक तस्वीरे है।
- ◊ प्रारूप (फॉर्मस)।
- ◊ किताबें।
- ◊ विज्ञापन, प्रचार सामग्री
- ◊ सोनोग्राफी प्लेटस एवं स्लाईड्स।
- ◊ उपकरण जैसे सोनोग्राफी मशीन, फीटोस्कोपी व अन्य उपकरण।

अगर समुचित प्राधिकारी को इस तलाशी के बाद यह विश्वास होता है कि उसकी राय में संस्थान द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का उल्लंघन किया गया है तो समस्त संबंधित दस्तावेजों/उपकरणों को सीज व सीज कर सकता है ताकि न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश करने की स्थिति में सबूत के तौर पर समस्त दस्तावेज/उपकरण पेश किए जा सके।

यह स्पष्ट है कि मेटेरियल ऑब्जेक्ट के अन्तर्गत समस्त रिकार्ड/मशीन/उपकरण इत्यादी आते है और सीज /सीजर के अन्तर्गत सील/सीलिंग भी आते है।

संशोधित नियमों के नियम 11(1) के अन्तर्गत प्रत्येक आनुवंशिक सलाह केन्द्र/आनुवंशिक प्रयोगशाला/ आनुवंशिक क्लिनिक अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक/इमेजिंग सेन्टर नर्सिंग होम/ अस्पताल एवं अन्य स्थान जो कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच में सक्षम तकनीक रखता है निरीक्षण के लिए समुचित प्राधिकारी को समस्त युक्तियुक्त सुविधाएँ, उपकरण, रिकार्ड इत्यादी उपलब्ध करायेंगा।

यह निरीक्षण समुचित प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पंजीकरण के समय या गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच मे सक्षम तकनीक के दुरूपयोग, विज्ञापन, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व भ्रूण की

लिंग जॉच या अन्य किसी भी प्रकार से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के उल्लंघन के संबंध में किया जा सकता है।

अगर इस निरीक्षण के समय समुचित प्राधिकारी को कोई अपंजीकृत संस्थान मिलता है तो समुचित प्राधिकारी द्वारा उस उपकरण मशीन, दस्तावेज इत्यादी को सील व सीज किया जा सकता है।

सील व सीज करते समय प्रक्रिया में स्पष्टता रखने, नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए आवश्यक है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 30, नियम 12 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 99–105 को साथ साथ पढा जावे।

दस्तावेजो/मशीन इत्यादी को सीज व सीजर करते समय कुछ ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें:

तलाशी और गवाह

- ◊ तलाशी के समय संभवतया दो स्थानीय/स्वतन्त्र गवाहो लोगो की उपस्थिति हो (नियम 12(1))
- ◊ अगर कोई भी स्थानीय व्यक्ति तलाशी के समय गवाह नहीं बनना चाहता है तो समुचित प्राधिकारी को चाहिए कि स्थानीय के अलावा अन्य किन्ही दो व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- ◊ तलाशी के समय के लिए दो स्वतन्त्र गवाहो का चयन समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा उस अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कि तलाशी कर रहा है।
- ◊ इन स्वतन्त्र गवाहो का चयन पक्षपातपूर्ण व हितबद्ध नहीं होना चाहिए यह इसलिए ताकि कार्यवाही में पारदर्शिता बरती जा सके।
- ◊ अगर किसी व्यक्ति जिसके पास लिंग जॉच से संबंधित उपकरण/दस्तावेज होने का संदेह है की भी तलाशी ली जा सकती है। अगर वह एक महिला है तो तलाशी किसी महिला अधिकारी द्वारा ही ली जानी चाहिए।

सीजर और सीजर मीमो

जब्ती और जब्ती सूची तैयार करना

- ◊ तलाशी के दौरान समुचित प्राधिकारी या अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सीज किए गए समस्त दस्तावेजों, अभिलेख (रिकार्ड) मेटेरियल ऑब्जेक्ट इत्यादि की एक सूची दो प्रतियॉ में तैयार की जाएगी तथा इन दोनो प्रतियों के प्रत्येक पेज पर समुचित प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएगें तथा गवाहो के भी हस्ताक्षर इस पर लिए जाऍगे।(नियम 12(2))

- ◊ तलाशी व सीजर की प्रक्रिया के समय समुचित प्राधिकारी हमेशा अपने कार्यालय स्टॉफ का सहयोग लेवें।अगर संभव हो तो सीजर मीमो उसी स्थान पर जहॉ की सीजर की कार्यवाही की जा रही है पर करें, अगर ऐसा करना संभव न हो तो उन कारणो को लिखित में रखते हुए कि क्यों ऐसा करना संभव नही है? कही अन्य स्थान पर यह सूची तैयार की जा सकती है। मगर ऐसे मे यह ध्यान रहे कि स्वतन्त्र गवाह उपस्थित हो।(नियम 12(2))

- ◊ सीजर मीमो (सीज व दस्तावेजो इत्यादी की सूची) की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाऐगी जिससे रिकार्ड, मशीन इत्यादी का सीजर किया गया है या उसके किसी प्रतिनिधि को या अगर कई अन्य स्थान पर सीजर मीमो तैयार किया गया है तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएगी। (नियम 12(3))

- ◊ तलाशी एवं सीजर कार्यवाही के दौरान समुचित प्राधिकारी को चाहिए कि जिस व्यक्ति के संरक्षण से दस्तावेज इत्यादी सील किए गए है। उसको या उसके किसी प्रतिनिधि को उपस्थित रहने की स्वीकृति प्रदान करें।

- ◊ समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी दस्तावेज आवश्यक वस्तू, रिकार्ड, उपकरण इत्यादी को सील कर सकता है और उक्त सभी को अपने संरक्षण मे ले सकता है।
- ◊ सील किए गये दस्तावेजो, इत्यादी की सूची तैयार करते समय अगर सम्भव हो तो सीज किए गये प्रत्येक दस्तावेज/उपकरण, इत्यादी पर एक स्लिप भी चिपका दें जिस पर समुचित प्राधिकारी व गवाहों के दस्तखत सीजर करने की दिनांक व समय अंकित हो।
- ◊ समुचित प्राधिकारी द्वारा सील किये गये दस्तावेजो, उपकरणो इत्यादी की सूची (सीजर मीमो) तैयार कर इसकी छाया प्रति सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजी जाएगी।
- ◊ ऐसे मे सील किए गये समस्त आवश्यक दस्तावेजों इत्यादी को अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिए संस्थान द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है।

माननीय न्यायालय द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए खोलने के आदेश समुचित प्राधिकारी को दिए जा सकते हैं।

- ◊ इस सम्पूर्ण तलाशी एवं सीजर की कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा पुलिस की सहायता भी ली जानी चाहिए।

सीलिंग

- ◊ समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई सामग्री सील/सीज की जाती है जो कि प्राकृतिक रूप से खराब होने योग्य है तो उसके रख रखाव के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक इंतजाम किए जावेंगे और अगर उस सील की गई सामग्री को किसी टैस्ट/परीक्षण के लिए भेजना हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शीघ्रातिशीघ्र भेजेगा (नियम 12 (4))।
- ◊ उक्त सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के इंतजाम होने तक समुचित प्राधिकारी या अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसी संस्थान जिसमें कि यह सीलिंग/सीजर किया जा रहा है के रेफ्रीजरेटर इत्यादी को उपयोग में लाया जा सकता है। मगर इस प्रकार से उपयोग में लाए गए रेफ्रीजरेटर इत्यादी को भी सील किया जाएगा और इस कार्यवाही को सीजर मीमो में जरूर लिखा जावेगा।(नियम 12 (4))
- ◊ अगर तलाशी एवं सीजर की कार्यवाही समुचित प्राधिकारी द्वारा या अधिकृत अधिकारी द्वारा एक दिन में समाप्त नहीं की जा सकती है तो इस स्थिति में वह संस्थान सील किया जा सकता है या रिकार्ड में किसी प्रकार की छेडछाड को रोकने के लिए एक सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी समुचित प्राधिकारी या अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है। नियम 12 (5)।
- ◊ सील एवं सीजर के बाद समुचित प्राधिकारी द्वारा सील किए गए समस्त दस्तावेज, उपकरण अन्य आवश्यक सामग्री अपने साथ लानी होगी और अगर समुचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी सील किए गए उपकरण, मशीन इत्यादी को लाने में असमर्थता महसूस करते है तो उस संस्थान के मालिक से इस आशय का बन्ध पत्र लेते हुये कि उस सील की सामग्री में किसी प्रकार की छेडछाड नहीं की जाएगी तथा माननीय न्यायालय में मंगाये जाने पर उसी अवस्था में पेश करेगा। उस सील सामग्री को वहीं संस्थान में छोडा जा सकता है।

  (सील या सीज की गई कोई मशीन को खोला जा सकता है अगर संबंधित संस्थान पंजीकरण राशि का पॉच गुणा राशि जुर्माने के तौर भुगतान समुचित प्राधिकारी को कर देता है तथा इस आशय का शपथ पत्र देता है कि वह भविष्य में भ्रूण की लिंग जॉच से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रक्रिया, टैस्ट, तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा।)*
- ◊ किसी भी प्रकार के आक्षेपों से बचने के लिए समुचित प्राधिकारी को चाहिए कि वह तलाशी एवं सीजर की कार्यवाही का एक संपूर्ण एवं सही रिकार्ड रखे।

---

* *भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के अनुसार*

सबूतो का संग्रहण

1. गैर कानूनी विज्ञापन –

अगर किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/प्रयोगशाला/क्लिनिक/अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक/इमेजिंग सेन्टर इत्यादी द्वारा प्रसव पूर्व गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन निर्माता, विक्रेता एवं वह व्यक्ति या संस्थान जिसके द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया जाता है तो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत बराबर के अपराधी होंगे ऐसी स्थिति में –

दस्तावेजी साक्ष्य -

- ◊ उस न्यूजपेपर मैग्जीन और अन्य कोई दस्तावेज जिसमें कि ऐसा विज्ञापन प्रकाशित हुआ हो की प्रति
- ◊ विज्ञापन निर्माता का नाम और उसका व्यवसाय का पता।
- ◊ उस क्लिनिक/परामर्श केन्द्र/प्रयोगशाला/अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक का नाम व पता जिसके द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया गया।
- ◊ वितरक का नाम व उसके व्यवसाय का पता।
- ◊ विज्ञापन होर्डिंग्स/बोर्ड इत्यादी का फोटो।
- ◊ लैटरहैड, मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन, वार्षिक प्रतिवेदन, कोई भी दस्तावेज जो कि संस्थान जिसके द्वारा वह विज्ञापन प्रसारित किया गया है के संगठनात्मक ढॉचे को दर्शित करता हो। ये समस्त जानकारी आरोपी को उसके अपराध से लिंक करने में उपयोगी होगी।

2. प्रसव पूर्व गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच/लिंग निर्धारण परीक्षण करने या भ्रूण के लिंग को बताने की स्थिति में –

दस्तावेजी साक्ष्य –

- ◊ रैफरल स्लिप।
- ◊ सहमति पत्र।
- ◊ लैब परिणाम।
- ◊ माईक्रोस्कोपिक पिक्चर्स।
- ◊ सोनोग्राफिक प्लेटस/स्लाईडस।
- ◊ रजिस्टर जिसमें कि मरीज का नाम पता एवं अन्य समस्त जानकारी मौजूद हैं।
- ◊ मरीज की केस हिस्ट्री।
- ◊ अगर मरीज का समस्त विवरण किसी कम्प्यूटर में या अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रानिक्स रिकार्ड में है उसकी एक प्रिन्टेड कॉपी, सीडी या फ्लॉपी भी लें।
- ◊ फीस की स्लिप, रसीद और फीस का भुगतान अगर जरिये चैक हुआ है तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी।

अन्य सबूत

दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा समुचित प्राधिकारी द्वारा मौखिक या अन्य सबूत भी जुटाये जाने चाहिए जिसमे कि –

- ◊ समुचित प्राधिकारी जब संदेहास्पद संस्थानों को चिन्हित कर ले वहॉ इस प्रकार की लिंग जॉच के लिए कोई बोगस ग्राहक भेजी जा सकती है।
- ◊ जब यह यकीन हो जाए कि संस्थान द्वारा लिंग निर्धारण परीक्षण किया गया था/किया जा रहा है तो उस बोगस ग्राहक (गवाह) के बयान रिकार्ड किए जावें।
- ◊ इस प्रक्रिया में बोगस ग्राहक द्वारा छुपे कैमरे, आवाज रिकार्डर कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि बोगस ग्राहक व ऐसी चीज जिसमे कि बोगस ग्राहक व चिकित्सक के बीच की बातचीत रिकॉर्ड की जा सके उपयोग में लाया जा सकता है।
- ◊ जब समुचित प्राधिकारी को इस बात का यकीन हो जाए कि बोगस ग्राहक के गर्भस्थ शिशु की लिंग जॉच की गई है तो शीघ्रातीशीघ्र समुचित प्राधिकारी द्वारा उस संस्थान पर कार्यवाही की जानी चाहिए तथा संबंधित उक्त समस्त दस्तावेजों को जब्त करना चाहिए।

- ◊ समुचित प्राधिकारी को उस बोगस ग्राहक के बयान शपथ पत्र के रूप में लेने चाहिए। जिसमें यह लिखा हो कि वह जनहित में समुचित प्राधिकारी की मदद कर रही है। तथा गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण नहीं कराना चाहती तथा चिकित्सकीय रूप से परिस्थितियों के सही रहने पर गर्भस्थ शिशु का जन्म प्रमाण पत्र समूचित प्राधिकारी को जमा करा देगी।
- ◊ अगर कोई बातचीत रिकार्ड की गई है तो उसे भी बोगस ग्राहक से लेकर एक लिखित बयान के रूप में सील कर देना चाहिए।

3. <u>अपंजीकृत संस्थान या पंजीकरण के निरस्त/निलम्बित करने के स्थिति में</u> :–

दस्तावेजी एवं अन्य साक्ष्य

- ◊ पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी।
- ◊ उस शपथ पत्र की कॉपी जो कि संस्थान के मालिक द्वारा दिया गया था कि वह कभी भी प्रसव पूर्व एवं गर्भधारण पूर्व भ्रूण के लिंग जॉच से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं करेगा।
- ◊ पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ लगाये गए कर्मचारियों की योग्यता संबंधित दस्तावेज (डिग्री इत्यादी)।
- ◊ बोगस ग्रहक के बयान।
- ◊ टेप और वीडियो रिकार्डिंग अन्य दस्तावेज या कोई चीज जो कि किसी प्रकार से टैस्ट इत्यादी से जुडी हो।

केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड

(धारा 7)

केन्द्र सरकार द्वारा एक बोर्ड निकाय का गठन किया जाएगा जिसका नाम केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड होगा।

1. प्रभारी मन्त्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार — **अध्यक्ष**
2. प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार — **पदेन उपाध्यक्ष**
3. केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत तीन सदस्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयो के प्रतिनिधि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग, विधि एवं न्याय विभाग का, चिकित्सा औषधी और होम्योपैथी विभाग के प्रभारी । — **पदेन सदस्य**
4. भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक । — **पदेन सदस्य**
5. भारत सरकार द्वारा मनोनीत 10 सदस्य जो कि निम्न प्रत्येक में से 2 होंगे –
   - ◊ विख्यात स्त्री रोग और गर्भरोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग और प्रसूती तन्त्र में विशेषज्ञ।
   - ◊ विख्यात आनु0 विशेषज्ञ।
   - ◊ विख्यात बाल रोग विशेषज्ञ।
   - ◊ विख्यात सामाजिक विज्ञानी।
   - ◊ महिला कल्याण संस्थाओ/संगठनो के प्रतिनिधि ।
6. तीन महिला सांसद जिसमें कि दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से हो।
7. चार सदस्य भारत सरकार द्वारा राज्यों से एक साल के लिए प्रतिनिधि के रूप में (अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार) नियुक्त किए जावेंगे।
8. एक अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव या भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी से निम्न पद का नहीं होगा नियुक्त किया जावेगा। — **पदेन सदस्य सचिव**

- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 में उक्त समस्त सदस्यों की सेवा शर्तो का उल्लेख किया गया है भारत सरकार की राय में अगर कोई भी सदस्य किसी भी रूप में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के दुरूपयोग से संबंधित रहा हो तो उसकी नियुक्ती तत्काल निरस्त की जावेगी।
- ◊ क्रम संख्या 5 व 6 के सदस्यों का मनोनयन 3 वर्ष के लिये किया जावेगा।
- ◊ क्रम संख्या 7 के सदस्यों का मनोनयन एक वर्ष के लिये किया जावेगा।
- ◊ पदेन सदस्यों के अलावा अन्य कोई सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नहीं चुना जाएगा।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 की धारा 9(1) यह निर्देशित करती है कि केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की दो बैठको के मध्य छः माह से अधिक का समय नही होना चाहिए ।

केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्य

- ◊ प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग जॉच में दुरूपयोग से संबंधित समय समय पर केन्द्र सरकार को सलाह देना।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के देश में कियान्विति की समीक्षा करना तथा आवश्यक निर्देश जारी करना।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण/लिंग चयन को रोकने हेतु जनता में जागरूकता लाने हेतु कार्य करना।
- ◊ आनुवंशिक परामर्श केन्द्र/ आनुवंशिक प्रयोगशाला/आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक/ इमेजिंग सेन्टर इत्यादी पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आचरण संहिता जारी करना।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित निकायों तथा नियुक्त समुचित प्राधिकारियों के कार्यो की समीक्षा करना तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देना।
- ◊ अन्य कोई कार्य जो अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है।

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड

(धारा 16 (ए))

संशोधित अधिनियम की धारा 16 (ए) के तहत प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया जावेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

1. प्रभारी मन्त्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — **पदेन अध्यक्ष**
2. प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — **पदेन उपाध्यक्ष**
3. प्रभारी सचिव/आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, विधि विभाग व चिकित्सा औषधि एवं होम्योपैथी विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि — **पदेन सदस्य**
4. निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/भारतीय चिकित्सा पद्धती व होम्योपैथी विभाग, राज्य सरकार — **पदेन सदस्य**
5. तीन महिला विधान सभा/विधान परिषद सदस्य — **सदस्य**
6. दस सदस्य जो कि निम्न प्रत्येक में से दो होंगे :–

    - ◊ विख्यात समाज विज्ञानी एवं विधि विशेषज्ञ।
    - ◊ विख्यात महिला कार्यकर्ता किसी गैर सरकारी संगठन या अन्य से।
    - ◊ विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग और प्रसूती तन्त्र विशेषज्ञ।
    - ◊ विख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ/आनु0 विशेषज्ञ।
    - ◊ विख्यात रेडियोलोजिस्ट या सोनोलोजिस्ट।
    - ◊ एक अधिकारी जो कि परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर से कम स्तर का नहीं होगा। — **पदेन सदस्य सचिव**

- ◊ समस्त पदेन सदस्य को छोडकर अन्य सदस्यगणों का मनोनयन तीन वर्ष के लिए किया जावेगा।
- ◊ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की दो बैठको के मध्य अन्तराल चार माह से अधिक नहीं होगा।
- ◊ कोरम की पूर्ती के लिए कुल सदस्य संख्या मे से एक तिहाई सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक होगी।
- ◊ अगर बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल विधानसभा/विधान परिषद सदस्य राज्य में मन्त्री, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन इत्यादी बन जाता है तो शपथ लेने की तिथि से बोर्ड के सदस्य के रूप में उसकी समस्त शक्तियॉ सीज हो जाएगी।
- ◊ राज्य बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार सदस्यो का चयन किया जा सकता है यह सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्य

- ◊ राज्य में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण जो कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार है को रोकने के प्रति जनता में जागरूकता लाना।
- ◊ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समस्त समुचित प्राधिकारियों के कार्यो की समीक्षा करना और उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही राज्य सरकार को सुझाना।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना तथा इससे संबंधित केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड को आवश्यक सुझाव देना।
- ◊ राज्य में अधिनियम के अधीन लागू की गई विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड तथा केन्द्र सरकार को प्रेषित करना
- ◊ कोई अन्य कार्य जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जावे

क्रियान्वयन अधिकारी (Implementing Authority)

(समुचित प्राधिकारी)

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को लागू करने की जिम्मेदारी समुचित प्राधिकारियों पर डाली गई है इनकी सलाह मशविरा के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है।

समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 17(2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के जरिये की जाती है।

राज्य स्तर पर – बहुसदस्यीय

- ◊ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त निदेशक से उच्च स्तर का अधिकारी (राजस्थान में निदेशक (प0क0) — अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी।
- ◊ विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता महिला संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में। — सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
- ◊ राज्य के विधि विभाग का अधिकारी — सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।

जिला स्तर पर – (अधिसूचना दिनांक 16.06.01 एवं 10.08.07)

जिला कलैक्टर

उप खण्ड स्तर पर – (अधिसूचना दिनांक 16.06.2001)

जिला मुख्यालय स्थित उप खण्ड के लिए –

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)

समुचित प्राधिकारियों के कार्य

- ◊ पंजीकरण प्रदान करना, निलम्बित व निरस्त करना।
- ◊ आनुवंशिकी परामर्श केन्द्र, आनुवंशिकी क्लिनिक व आनुवंशिकी प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, ईमेजिंग सेन्टर व अन्य के विहित कानूनी स्तर को लागू करना।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जॉच करना।
- ◊ न्यायालय में परिवाद पेश करना।
- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के उल्लंघन करने वाले संस्थान व व्यक्ति के विरूद्ध स्वतन्त्र जॉच करना व उचित कानूनी कार्यवाही करना। समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसा स्वयं या किसी शिकायत के आधार पर किया जा सकता है।
- ◊ प्रसव पूर्व एवं गर्भधारण पूर्व लिंग चयन की मानसिकता को बदलने के जनता में जागरूकता लाना।
- ◊ अधिनियम व नियमों की क्रियान्विति को समीक्षा करना।
- ◊ सामाजिक परिस्थितियों तथा तकनीक में हुये बदलाव पर अधिनियम में वांछित बदलावो (संशोधन) हेतु केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड तथा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को सुझाव भेजना।
- ◊ सलाहकार समिति के सुझावों पर कार्यवाही अमल में लाना।

समुचित प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित शिकायतो पर जॉच व कार्यवाही करे अगर किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो अधिनियम की धारा 28(1) (बी) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो जनहित मे कामकाज कर रहा है जिसमें सामाजिक संगठन भी आते है। समुचित प्राधिकारी को 15 दिवस का नोटिस देकर कार्यवाही ना हाने की स्थिति में स्वयं न्यायालय में जा सकता है।

समुचित प्राधिकारी की शक्तियॉ

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 (ए) मे समुचित प्राधिकारियों को कुछ शक्तियॉ प्रदान की गई है।

- ◊ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के उल्लंघन से संबंधित सूचना या दस्तावेज जिस व्यक्ति के अधिग्रहण मे है को सम्मन करने।
- ◊ कोई भी स्थान, जिसके लिंग चयन तकनीक के प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के रूप में प्रयुक्त होने की आशंका समुचित प्राधिकारी को है के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकेगा।
- ◊ कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गऐ निर्देशो के अनुसार समस्त राज्य समुचित प्राधिकारी पर्यवेक्षण बोर्ड को प्रत्येक तीन माह में एक त्रैमासिक प्रतिवेदन देंगे जो कि राज्य में पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित होगा। इस प्रतिवेदन में दी जाने वाली सूचना में मुख्यतः निम्न बाते होंगी :–

- ◊ अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की सर्वेक्षण रिपोर्ट व इनके पंजीकरण के संबंध में सूचना।
- ◊ अपंजीकृत सस्थानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण।
- ◊ प्राप्त शिकायतों व उनके निस्तारण के संबंध में सूचना।
- ◊ जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में।

यह त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी द्वारा जिला समुचित प्राधिकारी को तथा जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा राज्य समुचित प्राधिकारी को आवश्यक रूप से भेजी जाती है।[†]

अधिनियम की धारा 17 (5) में समुचित प्राधिकारी को अधिनियम की क्रियान्विति के संबंध में सलाह मशविरा प्रदान करने हेतु एक सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है।

सलाहकार समिति

- ◊ तीन चिकित्सा विशेषज्ञ जो कि स्त्री रोग, गर्भ रोग, बाल रोग विशेषज्ञ आनुवंशिक विज्ञानी इत्यादी में से होंगे।
- ◊ एक कानूनी विशेषज्ञ (यहॉ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि यह सरकारी या निजी अधिवक्ता कोई भी हो सकता है)
- ◊ तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें एक महिला संगठनों की प्रतिनिधि होगी।
- ◊ एक अधिकारी राज्य सरकार के सूचना एवं प्रकाशन विभाग से होगा।

एक व्यक्ति जो किसी भी रूप में प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरूपयोग से संबंधित रहा है सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जावेगा।

- ◊ सलाहकार समिति की दो बैठको के मध्य अन्तराल 60 दिवस के अधिक नहीं होगा।
- ◊ प्रत्येक बैठक में चार सदस्यों की उपस्थिति कोरम की पूर्ती मानी जाएगी।
- ◊ सलाहकार समिति की बैठक में समुचित प्राधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं है परन्तु मत विभाजन मे समानता की स्थिति में अपना मत देने का अधिकार है।
- ◊ सलाहकार समिति संबंधित प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरूपयोग निवारण एवं विनियम) (सलाहकार समिति) नियम 1996 प्रभावी है।

[†] *त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न है।*

केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिंग जॉच में सक्षम अल्ट्रासाउण्ड तकनीक के इस्तेमाल के संबंध में दिये गये संकेतक/सूचक (Indications)

जिनमें कि अल्ट्रासाउण्ड तकनीक इस्तेमाल में लायी जाती है।

1. अन्तगर्भाशयी और / या अस्थानिक संगर्भता का निदान करना और जीवन क्षमता की पुष्टि करना।
2. गर्भावधि (तारीख) का अनुमान लगाना।
3. गर्भस्थ की संख्या और उनकी जरायुदृश्यता का पता लगाना।
4. स्वस्थाने आईयूसीडी से साथ संदिग्ध सगर्भता या गर्भ निरोधक की असफलता/गर्भ के चिकित्सकीय समापन की असफलता के पश्चात संदिग्ध सगर्भता।
5. यौन द्वारीय रक्त स्त्राव/रिसन
6. गर्भपात के मामले में अनुवर्तन
7. ग्रैव नलिका का और आन्तरिक ओएस के व्यास का निर्धारण
8. यौनि आकार और अनार्तव की अवधि के बीच विसंगति
9. कोई संदिग्ध एडनिक्सल या योनि विकृति/अपसामान्यता
10. गुणसूत्री अपसामान्यता, गर्भ संदचना की खामियों और अन्य अपसामान्यताओं का पता लगाना और उनका अनुवर्तन
11. गर्भ उदय और उसकी स्थिति का मूल्यांकन करना
12. गर्भोदक का निर्धारण
13. समय पूर्व प्रसव/झिल्लियों का समय पूर्व काल पूर्व विदार
14. अपरा स्थिति, मोटाई, ग्रेडिंग और अपसामान्यताओं का मूल्यांकन (बिजाड, सनप्रेविया, पश्च अपरा रक्तस्त्राव, अपसामान्य संसक्ति आदि)
15. नाभी रज्जू का मूल्यांकन–उदय, निवेशन, मध्य घेराबंदी वाहिकाओ की संख्या और सही गांठ की विद्यमानता।
16. पूर्व सीजेरियन सेक्शन के धब्बों का मूल्यांकन
17. गर्भ वृद्धि के पेरामीटर, गर्भ के वनज और गर्भ की तंदुरूस्ती का मूल्यांकन
18. रंग प्रवाहचित्रण और डूपलैक्स, डॉपलर अध्ययन
19. अल्ट्रासाउंड द्वारा मार्गदर्शित प्रक्रियाओं जैसे सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, बाह्य शीर्ष, गर्भवर्तन आदि और उनका अनुवर्तन
20. नैदानिक और उपचार्य आक्रामक हस्तक्षेप से अनुबद्धता जैसे जरायु अंकुर का नमूना (सीवीएस), एम्निओसेंटेसिस, गर्भ के रक्त का नमूना लेना, गर्भ त्वचा बायोप्सी के उल्वफोट, अंतः गर्भाशीय फोंट, पार्श्व पथो का स्थापन, आदि
21. अन्तः प्रसव धटनाओं का संप्रेक्षण
22. गर्भावस्था को जटिल बनाने वाले चिकित्सकीय/शल्य चिकित्सकीय दशाएँ ।
23. मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अनुसंधान/वैज्ञानिक अध्ययन।

List of document Required to be maintained or diplayed by the Establishment registered under this act

◊ **Registration Certificate** given by the Appropriate Authority shall be displayed in a conspicuous place at it's place of business. (Possibly where the pre -natal diagnostic technique/ Ultrasonography machine installed.)

◊ Every institution registered under this act shall prominently display on its premises a **notice** in English and in the local language for the information of the public that **"Disclosure of the sex of the foetus is prohibited under the law"** (One notice board at the reception and the second where the pre –natal diagnostic techniques/ Ultrasonography machine is installed.

◊ Display of **degree/diploma** of the **qualified person** who has been **authorized** to use the pre natal diagnostic techniques by the **appropriate authority.**

◊ **Registration certificate given by the Medical council** shall prominently be displayed by the qualified person who has been authorized to operate the Ultrasonography machine or to conduct PNDT.

◊ At least one copy of the Act and the rules shall be available at every institution which is registered under this act.

◊ Every institution registered under this act shall **maintain a register** showing, in serial order, the names and addresses of the men or women given genetic counseling, subjected to PNDT, the names of their spouse or father and the date on which they first reported for such counseling and PNDT.

◊ The record to be maintained by every institution registered under this act shall be in specified as D/E/F/G.

Genetic counseling centre - **Form D**

Genetic Laboratory - **Form E**

Genetic Clinic/Ultrasonography centres/ other institution having techniques capable to determining the sex of a foetus - **Form F**

[Every Column of the above forms D/E/F must be filled and signed with Name and registration no. of the person authorized by the Appropriate Authority or as prescribed by the law]

[The person using PNDT or conducting Ultrasonography on pregnant women shall keep a complete record thereof in the clinic in such manner, as may be prescribed, and **any deficiency or inaccuracy found** therein shall amount to **contravention of the provisions of section 5 or 6** unless the contrary is proved by the person operating the Ultrasonography machine or conducting PNDT]

- ◊ Every Genetic counseling centre Genetic Laboratory Genetic Clinic/ Ultrasonography centres / other institution having techniques capable to determining the sex of a foetus shall send a complete report in respect of each month by 5th day of the following month to concerned A.A.,
- ◊ All **case related records**, form of consent G (if using invasive tech.), Laboratory results, Microscopic pictures, sonographic plates or slides, referral or recommendation letter, etc shall be preserved for a period of two years or for such period as may be prescribed by law in case of any legal proceedings.
- ◊ All above record shall be made available for the inspection to the Appropriate Authority or any other officer authorized by the Appropriate Authority
- ◊ In case the institution which is registered under this act **maintains records on computer** or other electronic equipment, a **printed copy of the record** shall be taken and preserved after authentication by a person responsible for such record.
- ◊ All such necessary medical instruments/facilities under rule 2(b)(1),(2),(3)
- ◊ **A copy** of the complete record regarding the registration of a place under the PCPNDT Act **(Form A)**.
- ◊ **Receipts** of Appropriate Authority's office regarding the **monthly record submission**.
- ◊ Complete record of the qualified person who is authorized to operate the Ultrasonography machine or to conduct PNDT.
- ◊ Copy of the Intimation to the Appropriate Authority for any change in employee, Place, address or equipment installed.

State Appropriate Authority

CHAIRPERSON

MEMBERS

1.- Dr. Ranka Kamal,
Professor (Dept. of Botany),
University of Rajasthan,
Jaipur,(Raj.)
Mob. 09828014141

2.- Brij kishore gupta,
DLR(L), Law Dept.
Secretariat, Rajasthan, Jaipur
Mob. 09413417797

OFFICE ADDRESS

Chairperson,
State Appropriate Authority
Directorate of Medical, Health and Family Welfare
Swasthaya Bhawan, Tilak marg,
C-Scheme, Jaipur (Raj)

State Nodal Officer (PCPNDT)

Dr. M.L. Gupta
Director (RCH)
Directorate Medical & Health Services

State PCPNDT Cell

Deputy Director (RCH) **Hardayal Singh** (RPS) Mob. 9460024421	Health Manager **Dr. Jal Singh** Mob. 09461600006	Legal Advisor **Ritesh Tiwari** Mob. 09414208254

State Help line and Complaint
Phone No.- (0141)2222422/2221341
E-mail- **pcpndt-rj@nic.in**

www.rajswasthya.nic.in/PCPNDT.htm

FORM A

[See rules 4(1) and 8(1)]

(To be submitted in Duplicate with supporting documents as enclosures)

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OR RENEWAL OF REGISTRATION OF A GENETIC COUNSELLING CENTRE/GENETIC LABORATORY/GENETIC CLINIC/ULTRASOUND CLINC/IMAGING CENTRE

1. Name of the applicant
(Indicate name of the organisation sought to be registered)

2. Address of the applicant

3. Type of facility to be registered
(Please specify whether the application is for registration of a Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre or any combination of these)

4. Full name and address/addresses of Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ Ultrasound Clinic/Imaging Centre with Telephone/Fax number(s)/Telegraphic/Telex/E-mail address (s).

5. Type of ownership of Organisation (individual ownership/partnership/company/co-operative/any other to be specified). In case type of organization is other than individual ownership, furnish copy of articles of association and names and addresses of other persons responsible for management, as enclosure.

6. Type of Institution (Govt. Hospital/Municipal Hospital/Public Hospital/Private Hospital/Private Nursing Home/Private Clinic/Private Laboratory/any other to be stated.)

7. Specific pre-natal diagnostic procedures/tests for which approval is sought

(a) Invasive (i) amniocentesis/ chorionic villi aspiration/ chromosomal/ biochemical/ molecular studies

(b) Non-Invasive Ultrasonography

Leave blank if registration is sought for Genetic Counselling Centre only.

8. Equipment available with the make and model of each equipment (List to be attached on a separate sheet).

9. (a) Facilities available in the Counselling Centre.

(b)Whether facilities are or would be available in the Laboratory/Clinic for the following tests:

(i) Ultrasound
(ii) Amniocentesis
(iii) Chorionic villi aspiration
(iv) Foetoscopy
(v) Foetal biopsy
(vi) Cordocentesis

Whether facilities are available in the Laboratory/ Clinic for the following:

(i) Chromosomal studies
(ii) Biochemical studies
(iii) Molecular studies
(iv) Preimplantation genetic diagnosis

10. Names, qualifications, experience and registration number of employees (may be furnished as an enclosure).

11. State whether the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ultrasound clinic/imaging centre ‡ qualifies for registration in terms of requirements laid down in Rule 3]

12. For renewal applications only:

(a) Registration No.

(b) Date of issue and date of expiry of existing certificate of registration.

13. List of Enclosures:

(Please attach a list of enclosures / supporting documents attached to this application.)

Date:

(……..)

Place

Name, designation and signature of the person authorized to sign on behalf of the organisation to be registered.

DECLARATION

I, Sh./Smt./Kum./Dr…… son/daughter/wife of …… aged …….. years resident …… working as (indicate designation) …… in (indicate name of the organisation to be registered) ……..…….. hereby declare that I have read and understood the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) and the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996,

I also undertake to explain the said Act and Rules to all employees of the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ultrasound clinic/imaging centre in respect of which registration is sought and to ensure that Act and Rules are fully complied with.

Date:

(……..)

Place

Name, designation and signature of the person authorized to **sign on behalf of the organisation to be registered**

[SEAL OF THE ORGANISATION SOUGHT TO BE REGISTERED]

ACKNOWLEDGEMENT

[See Rules 4(2) and 8(1)]

‡ *Strike out whichever is not applicable or not necessary. All enclosures are to be authenticated by signature of the applicant.*

The application in Form A in duplicate for grant*/renewal* of registration of Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre* by ……. (Name and address of applicant) has been received by the Appropriate Authority ……. On (date).

* The list of enclosures attached to the application in Form A has been verified with the enclosures submitted and found to be correct.

OR

*On verification it is found that the following documents mentioned in the list of enclosures are not actually enclosed.

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

(……..)

Signature and Designation of Appropriate Authority, or authorized person in the Office of the Appropriate Authority.

Date:
Place:

SEAL

*Strike out whichever is not applicable or necessary.